... रूकावट उत्पन्न नहीं करें न ऐसा अन्य से करावे तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

मैनें प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया व वकील वादी /प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन वादी /प्रार्थी के पक्ष का है। यदि विपक्षी सं0 1 वाद वर्णित आराजी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर मौके से बेदखल कर देगें तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी पेशी 19.01..2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल की आ0नं0 833 रकबा 0.1897 हैक्टर , आ0नं0 834 रकबा 0.5438 है0, आ0नं0 2249/1264 रकबा 0.5679 है0, आ0नं0 2250/1478 रकबा0.2909 है0, में प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय, रहन बय बख्क्षीस या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे तथा विपक्षी सं0 1 न ही जबरन प्रार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी को उक्त आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से विपक्षी सं0 1 किसी प्रकार की बाधा रूकावट उत्पन्न नहीं करें न ऐसा अन्य से करावे तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश –39 नियम –3 की पालना हो , रास्तों पर लागू नहीं । हुक्म इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करे। पत्रावली दिनांक 19.01..2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

15-1-21 वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि हमारे दोनो पक्षकारान् के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। अत प्रार्थी उक्त प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। प्रा॰ पत्र इसी स्टेज पर ड्रोप फरमाया जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया, आपसी राजीनामा को रेकार्ड पर [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीका[illegible] जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र [illegible] जाने से अब आगे [illegible] के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर ड्रोप किया जाता है।
पत्रावली फ़ैस्ल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.02.02 11:20:47 IST
Reason: SelfAttested